

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जान्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

चुन्नी राम बनाम फूसा राम आदि

धारा अन्तर्गत 88, 53 आरटीए मुकदमा नं. 43/2020

निर्णय दिनांक :- 07.06.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:- माफिक बंटवारा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम चक 4 एफ सी, पटवार हल्का मुकन (बी), भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 129/128 के मु.न. 16, 17 की भूमि में वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 2.345 हेक्टैयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्लियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	चुन्नीराम पुत्र श्री हीरा राम जाति वावरी निवासी चक 4-एफसी तहसील श्रीकरणपुर हाल आबाद नाहरसिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान।	4 एफ सी	16	8,9,13,18 10 11 12	1.012 हेक्टैयर 0.228 हेक्टैयर 0.177 हेक्टैयर 0.177 हेक्टैयर	नहरी नहरी नहरी नहरी	7 1.58 1.22 1.22
			17	3 4,5 7	0.240 हेक्टैयर 0.506 हेक्टैयर 0.125 हेक्टैयर	नहरी नहरी नहरी	1.66 3.50 0.86

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे।

आज दिनांक 14.06.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	300	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	304	00	योग	00	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
श्री करणपुर

क्रमांक: रीडर/ 2022/ 340

दिनांक: 14.06.2022

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
श्री करणपुर